

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
जिला नियोजनालय, चतरा।

नामांकन की सूचना

झारखण्ड राज्य के नवनिर्मित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,सिमरिया (चतरा) में SCVT के अंतर्गत सितम्बर 2016 से प्रारम्भ होने वाले सत्र में निम्नांकित व्यवसायों (ट्रेड) में प्रवेश हेतु इच्छुक महिला एवं पुरुष उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में दिनांक **30.08.2016** तक आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

(1) शैक्षणिक योग्यता

- (1) महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केवल महिला उम्मीदवारों के लिए हैं।
- (2) प्रवेश पाने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित है:-
 - (क)- वेल्डर व्यवसाय के लिए आठवां पास (8 वां) उत्तीर्ण।
 - (ख)- शेष व्यवसायों के लिए माध्यमिक / 10 वाँ /समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण 10+2+3 प्रणाली के आधार पर।
 - (ग)- नामांकन प्रवेशिका या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर नामांकन समिति के समक्ष उपस्थित होने के समय उपलब्ध सीट के आलोक में ओपेन बोर्ड प्रणाली द्वारा मैट्रिक के प्राप्तांक/मेरिट के आधार पर नामांकन नियमनुसार किया जायेगा। I.Sc, I.A., I.Com तथा इससे उच्चतर के उम्मीदवारों को 15 अंको का अधिभार दिया जायेगा।

(2) आयु अहर्ता

- (क)- 01 जुलाई 2016 को न्यूनतम 14 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष बीच होना चाहिए।
 - (ख)- सैन्य कार्यवाई में मारे गये सैन्य मर्मियों के विधवाओं के मामले में अधिकतम आयु 45 वर्ष।
आयु के निर्धारण के लिए केवल माध्यमिक/10 वाँ समकक्ष परीक्षा के मूल/ औपबंधिक प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि ही बैध होगी। आठवाँ (8वाँ) स्तर के व्यवसायों के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि बैध होगी।
- (3)** प्रशिक्षण के लिए शारीरिक योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवारों को लिखित आश्वासन देना होगा कि वे प्रशिक्षण की अवधि में अनुषासन का पालन करेंगे। प्रशिक्षण समाप्त होने के पूर्व प्रशिक्षण कभी भंग नहीं करेंगे।

(4) शुल्क

आवेदन पत्र के साथ आवेदन पंजीयन शुल्क के रूप में 100/- (सौ रुपये) मात्र का पोस्टल आर्डर देना होगा जो संबंधित प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,सिमरिया (चतरा) के पदनाम से भुगतेंय होगा। किसी भी शर्त पर यह राशि नगद राशि के रूप में स्वीकार नहीं की जायेगी तथा नहीं लौटयी जायेगी। पोस्टल आर्डर एक माह के अन्दर का होना चाहिए।
प्रवेश करने समय परिक्षार्थियों को 50/- (पचास रुपये) मात्र कौशन मनी के रूप में जमा करना होगा। अगर छात्रों द्वारा संस्थान का कोई सामान खो जाने या समान को जानबुझ कर तोड़ दिये जाने पर उसकी कीमत कौशन मनी से काट ली जायेगी तथा अन्य उचित कारवाई की जायेगी। उत्तीर्ण करने के बाद छात्र एक वर्ष के अन्दर कौशन मनी वापस नहीं लेते हैं तो इसे जब्त कर दिया जायेगा और सरकारी खजाना में जमा कर दिया जायेगा। सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को कल्याण विभाग से नियमानुसार छात्रवित्त मिल सकती है।
आवेदक अपना आवेदन पत्र निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय चतरा, प्रखण्ड कार्यालय ,चतरा के बगल में ,जिला चतरा के पते पर भेजेंगे। आवेदन पत्र में आवेदक अपनी योग्यता/अंक पत्र/ जाति /उम्र/आवासीय से संबंधित सभी की छायाप्रति स्वप्रमाणित कर एवं पोस्टल आर्डर के साथ संलग्न कर भेजेंगे।

(5) आरक्षण अहर्ता

- (क) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र संख्या 2020, दिनांक 04.04.2010 के अनुरूप रहेगा।
- (ख) यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उपलब्ध ना हों तो अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा और यदि अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों का नामांकन किया जायेगा।
- (ग) यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति दोनों के उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो अत्यन्त पिछड़ वर्ग से नामांकन किया जायेगा।
- (घ) यदि अत्यन्त पिछड़ वर्गी के उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो पिछड़ा वर्ग से नामांकन किया जायेगा।
- (ङ) यदि इसके बाद भी सीट बच जाती है तो उन्हें सामान्य वर्ग से भरा जायेगा।
- (च) मेरिट से चुने गये आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जायेगा बल्कि खुली गुणा-गुण कोटि के 50 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्धमाना जायेगा।
- (छ) भूतपूर्व सैनिकों या भूतपूर्व सैनिकों (किसी भी वर्ग) के आश्रितों के लिए सभी औद्योगिक प्रशिक्षण में एक सीट आरक्षित है।

(ज) प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में स्वीकृत सीटों के 30 प्रतिशत नामांकन सुपरन्यूमरी के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

(झ) विकलांगों (सभी वर्ग) के लिए सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रत्येक व्यवसाय में एक सीट आरक्षित है।

(6) पदों की विवरणी –

नव निर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिमरिया (चतरा) में नामांकन हेतु प्रशिक्षणार्थियों का कोटिवार सीटों का विवरणी:-													
क्र० स०	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	अवधि	व्यवसाय का नाम	स्वीकृत सीट	स्वीकृत सीट का विभाजन					सुपरन्यूमरी सीट			Total seat
					GEN	ST	SC	BC-1	BC-2	PH	SMQ	Super nunc ST/SC	
					50%	4 %	21 %	14 %	11%				
1	औद्योगिक संस्थान, सिमरिया (चतरा)	दो वर्षीय कोर्स	फीटर (दो यूनिट)	32	16	1	7	5	3	1	1	8	42
			इलेक्ट्रीशियन (दो यूनिट)	16	1	7	5	3	1	1	8	8	42
		एक वर्षीय कोर्स	डीजल, मेकानिक (दो यूनिट)	16	1	7	5	3	1	1	8	8	42
			वेल्डर (दो यूनिट)	24	12	1	5	3	3	1	1	6	32

(7) आवसीय अहर्ता:- सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वे ही उम्मीदवार नामांकन ले सकते हैं जो झारखण्ड राज्य के निवासी हैं या स्थानीय निवासी हैं स्थानीय निवासी के श्रेणी में आते हैं। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना ज्ञपा संख्या 3198(डोमिसाईल) राँची दिनांक:- 18.04.2016 में स्थानीय निवासी परिभाषित किया है। उम्मीदवारों का अपने दावे के समर्थन में विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी (अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल) या उपायुक्त) द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(8) जाति आधारित अहर्ता:- नामांकन में झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले उम्मीदवारों को विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी (अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल) या उपायुक्त) द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(9) नामांकन में जिला की बाध्यता नहीं है। किसी भी जिला के उम्मीदवार किसी भी आई0 टी0 आई0 में नामांकन ले सकते हैं।

उपरोक्त ट्रेडों में नामांकन के क्रम में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प – 2020 दिनांक 09.04.2010 के अनुरूप रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा।

साधारण डाक एवं सीधे प्राप्त आवेदन पत्र अथवा अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।

अन्य आवश्यक शर्त/महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं विहित प्रपत्र www.Chatra.nic.in या Jharkhand.gov.in पर देखा जा सकता है।

(महेश शर्मा)
जिला नियोजन पदाधिकारी
जिला नियोजनालय चतरा।

अनुसूची "क"
नवनिर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश करने हेतु आवेदन पत्र

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम:-.....
2. उम्मीदवार का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में):-.....
(हिन्दी में):-.....
3. (क) पिता का नाम :-.....
(ख) अभिभावक का नाम :-.....
4. पिता/अभिभावक का पेशा :-.....
5. उम्मीदवार का पूरा पता :-.....
(क) स्थायी पता :-.....
(ख) थाना :-..... गृहजिला..... पिन न0.....
(ग) पत्राचार का पता :-.....
6. उम्मीदवार का निकटतम रेलवे स्टेशन :-..... 7.
जन्म तिथि (प्रमाण-पत्र अभिप्रमाणित प्रति के साथ) :-.....
8. दिनांक 1 जुलाई 2016 को आयु :-.....
9. शैक्षणिक योग्यता :-.....

कृपया प्रवेशिका से लेकर सभी उच्चतर परीक्षाओं का विवरण दें :-

क्र0	परीक्ष का नाम	बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	विद्यालय/ महाविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष (वार्षिक/पूरक)	श्रेणी	प्राप्तांक	कुल अंक	परीक्षा के विषय	अभ्युक्ति
1									
2									
3									
4									

नोट:- आवेदक सभी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करें।

10. क्या उम्मीदवार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं ?:-.....
11. क्या उम्मीदवार भुतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित हैं ?:-.....
12. क्या उम्मीदवार विकलांग हैं ? :-.....
13. पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय और परिवार के वयस्क एवं नाबालिक दोनों की अलग-अलग संख्या:-.....
14. आवेदक पत्र के साथ आवेदन पंजीयन शुल्क (100/- रुपये मात्र) के रूप में संलग्न पोस्टल आर्डर की संख्या निर्गत होने की तिथि तथा राशि :-.....
15. अनुलग्न की विवरणी :-1)..... 2)..... 3).....
4)..... 5)..... 6)..... 7).....
मैं..... पिता का नाम..... प्रमाणित करती हूँ /करता हूँ
कि उपर्युक्त सूचना मेरे द्वारा भरी गई है एवं सही है।

आवेदन देने की तिथि

आवेदक का हस्ताक्षर

- नोट:- (1) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग भुतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित एवं वीरगति प्राप्त सैनिक के आश्रितों को अंचल पदाधिकारी/जिला उपायुक्त/ जिला सोल्जर्स बोर्ड (जो संबंधित प्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम हो) से उक्त वर्ग के होने का प्रमाण-पत्र अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक है।
(2) विकलांगों को अपना आवेदन पत्र देते समय एक फुल साईज का फोटो देना होगा तथा जिला अस्पताल के आर्थो-पेडिक्स के विभागाध्यक्ष/जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक (civil surgeon) द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।
दूसरे किसी चिकित्सकों के प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी।